न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर, बुलन्दशहर।

पीठासीनः विनीत चौधरी,(एच0जे0एस0)

J.O.Code No-U.P.6365)

सत्र वाद संख्याः 23 सन 2025

सी0एन0आर0 यू0पी0बी0यू0–07000103–2025

उ0 प्र0 राज्य ....**अभियोगी**

बनाम्

प्रमोद पुत्र त्रिलोकी सिंह, निवासी मौहल्ला नमक मण्डी कस्बा व थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

1. ....**अभियुक्तगण**

मु0 अ0 सं0 490 सन 2019

अन्तर्गत धारा 323/34, 307/34,,504,427भा0 द0 सं0

थाना–डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

<u>निर्णय</u>

घटना की तिथि	दिनांक 26.10.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	दिनांक 27.10.2019
संज्ञान लेने की तिथि	दिनांक 18.12.2018
सत्र सुपुर्दगी आदेश की तिथि	दिनांक 12.04.2022
आरोप विरचन की तिथि	दिनांक 17.10.2022
निर्णय की तिथि	दिनांक 13.04.2026

1. अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरूद्ध मु0 अ0 सं0 490 सन 2019 अन्तर्गत धारा 323,307,504,427 दं0 सं0 थाना–डिबाई जिला बुलन्दशहर के संदर्भ में आरोप पत्र प्रदर्श क–7 प्रेषित प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा प्रसंज्ञान लेने के पश्चात अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 207 द0 प्र0 सं0 के तहत नकले प्रदान करते हुये सत्र सुपुर्दगी आदेश पारित किया गया जो

Digitally signed by VINEET CHAUDHARY
Date: 2026.04.13 16:04:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र वाद के रूप में पंजीकरण हुआ और अंतरित होकर विचारण हेतु न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा जितेन्द्र सिंह द्वारा एक तहरीर प्रदर्श क–1 थाना हाजा पर इस आशय की दी गयी कि घटना दिनांक 26.10.2019 को समय रात करीब 9:00 बजे की है। वह कस्बा डिबाई स्थित त्रिलोकी होटल से खाना खाकर वापस चलने लगा तो उसने इस होटल पर खडी अपनी मोटर साईकिल निकालने के लिए उक्त होटल मालिक के बेटे प्रमोद कुमार पुत्र त्रिलोकी सिंह निवासी डिबाई से उसकी मोटर साईकिल हटाने के लिए कहा इसी बात पर उक्त प्रमोद कुमार वादी से गाली गलौंच करने लगा। उसने जब उक्त प्रमोद कुमार को गाली देने से मना किया तो प्रमोद व रवि व सूरज पुत्रगण त्रिलोकी सिंह तथा इनके दो अज्ञात साथी उसको पास ही स्थित एक गली में खींच ले गये और इन सभी ने उसको जमीन पर गिरा कर उसको लाठी डण्डों से बुरी तरह मारा पीटा जिसमें उसको काफी चोटें लग गई। इस घटना के दौरान ही अभियुक्तगण ने उसके हाथ पैर पकड लिये और उक्त प्रमोद ने जान से मारने की नीयत से अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया और उसका रेडमी नोट 5 प्रो मोबाइल फोन उक्त लोगों के डण्डा लगने से टूट गया। शोर शराबा सुनकर मौके पर राय सिंह पुत्र ब्रहम सिंह, चन्द्रवीर पुत्र भीम सेन निवासी गांव घुसराना हरी सिंह थाना डिबाई, राजू ठाकुर पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला हरदेव डिबाई तथा अन्य बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने यह घटना देखी और वादी को बचाया। मौके पर ही वह बेहोश हो गया, जिसे यू0 पी0 100 पुलिस ने थाने पहुंचाया, जहां होश में आने के बाद उसका डाक्टरी परीक्षण कराया गया। प्रमोद एक शातिर किस्म का व्यक्ति है, कई बार जेल जा चुका है। लिहाजा इन सभी से उसको भय है कि ये लोग वादी के साथ कोई अनहोनी घटना घटित न कर दें।

3. उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पंजीकृत की गयी, जिसका खुलासा प्रदर्श क–3 कायमी जी0 डी0 में कर विवेचना उप निरीक्षक अनुराग सिंह के सुपुर्द की गयी, जिनके द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 अंकित किये गये तथा चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न केस डायरी की गयी। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुये नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया गया, बयान वादी, गवाहान के बयान अंकित किये गये, छानबीन की तथा तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही के आरोप पत्र प्रदर्श क–7 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण रवि, सूरज एवं प्रमोद के विरूद्ध दिनांक 17.10.2022 को अन्तर्गत धारा 307/34, 323/34, 504 व 427 भा0 दं0

सं0 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपो से इंकार करते हुये विचारण की मांग की गयी।

5. अभियोजनपक्ष द्वारा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

क्रम सं0	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0.1	जितेन्द्र सिंह	वादी/चुटैल मुकदमा
पी0डब्लू0.2	चन्द्र वीर	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0 डब्लू0.3	कां0 क्लर्क सुन्दर पाल सिंह	नकल चिक साक्षी
पी0 डब्लू0.4	डा0 गिरी हेमन्त कुमार	चिकित्सक साक्षी
पी0 डब्लू0.5	उपनिरीक्षक अनुराग सिंह	विवेचक साक्षी

6. अभियोजनपक्ष द्वारा निम्न अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया है–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1/पी0 डब्ल01	तहरीर
2.	प्रदर्श क–2/पी0 डब्लू03	लेखक चिक एफ0 आई0 आर0
3.	प्रदर्श क–3/पी0 डब्लू03	कायमी जी0 डी0
4.	प्रदर्श क–4/पी0 डब्लू04	पर्चा इलाज
5.	प्रदर्श क–5/पी0 डब्लू04	चिकित्सीय परीक्षण आख्या
6.	प्रदर्श क–6/पी0 डब्लू05	नक्शा नजरी
7.	प्रदर्श क–7/पी0 डब्लू05	आरोप पत्र

7. इस स्तर पर अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्य का सारांश दिया जाना जाना उचित होगा। अभियोजन साक्षी पी0डबलू0 1 वादी मुकदमा जितेन्द्र सिंह द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि घटना दिनांक 26.10.2019 समय रात्रि 9:00 बजे की है। वह करीब 8:30 बजे त्रिलोकी होटल पर खाना खाने गया था। जब वह खाना खाकर वापस लौटा तो उसकी मोटर साईकिल के बरावर में खडी होटल मालिक के बेटे अभियुक्त प्रमोद की मोटर साईकिल हटाने के लिए कहा तो प्रमोद ने आना कानी चालू कर दी और उसके साथ गाली गलौंच करने लगा। ऐसा करने के लिए उसने मना किया तो तभी अभियुक्त प्रमोद, रवि व सूरज तथा दो व्यक्ति जो होटल के कर्मचारी थे जिनको सामने आने पर पहचान सकता हूँ। उन लोगों ने

उसके साथ मारपीट करते हुये पास की गली में खींच कर ले गये तथा सभी ने जमीन पर गिराकर लाठी डण्डों व लात घूंसों से उसके साथ मारपीट की तभी रवि, सूरज व अन्य व्यक्तियों ने उसके हाथ पैर पकड लिये प्रमोद ने जान से मारने की नीयत से अपने दोनों हाथों से गला दबा दिया तथा उसके मोबाईल रेडमीनोट–5 प्रो को डण्डा मारकर तोड दिया। वारदात के समय मौके पर चन्द्रवीर, राजू ठाकुर व अन्य लोग आ गये, जिन्होंने घटना को देखा व उसे बचाया। उसके बाद वह बेहोश हो गया। उसको यू0 पी0 100 नम्बर पुलिस ने थाने पहुंचाया। होश में आने के बाद पुलिस ने उसकी डाक्टरी मुआयना कराया। साक्षी ने तहरीर को बतौर प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

8. अभियोजन साक्षी सं0 2 चन्द्रवीर सिंह के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि घ टना दिनांक 26.10.2019 समय लगभग रात 9:00 बजे की है। घटनास्थल पर वह बाहर से आया था। बस से खाना खाने उक्त घटनास्थल वाले होटल के पास रूक गये थे। उसने देखा कि अभियुक्तगण प्रमोद, रवि व सूरज ने गली के अन्दर जितेन्द्र को नीचे लिटाकर लाटी डण्डे व लात घूसों से मार रहे थे और प्रमोद ने जितेन्द्र का गला दबा रखा था। तभी उसने बीच बचाव कराया और शोर शरावा सुनकर काफी लोग आ गये उसके साथ राय सिंह भी मौजूद था, जिसने घटना को देखा था जैसे ही भीड कम हुई अभियुक्तगण घटना कारित करके भाग गये। हाजिर अदालत अभियुक्त प्रमोद व सूरज, रवि को देखकर कहा यह वही लोग है जिन्होंने जितेन्द्र के साथ घटना कारित की थी।

9. अभियोजन साक्षी सं03 कां0 क्लर्क सुन्दर पाल सिंह द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि वह दिनांक 27.10.2019 को थाना डिबाई पर थाना कार्य लेख पर तैनात था। उस दिन उसके समक्ष मुकदमा वादी जितेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी घुसराना हरी सिंह थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर ने एक टाईप शुदा तहरीर खुद की दस्तखती बताते हुये दी थी। उसके द्वारा थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर पूछताछ कर जी0 डी0 में मु0 अ0 सं0 490/2019 का खुलासा कर इसकी एफ0 आई0 आर0 सं0 490/2019 अन्तर्गत धारा 147, 504,323, 307, 427 भा0 द0 सं0 दिनांक 27.10.2019 समय 17:23 बजे अभियुक्तगण रवि, प्रमोद, व सूरज आदि के विरूद्ध शब्द व शब्द कम्प्यूटर आपरेटर लेडी कां0 प्रियंका से किता करायी थी। साक्षी ने चिक एफ0 आइ0 आर0 को बतौर प्रदर्श क–2 एवं कायमी जी0 डी0 को बतौर प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

10. अभियोजन साक्षी सं0 4 डा0 गिरी हेमन्त कुमार द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि वह दिनांक 26.10.2019 को सी0 एच0 सी0 डिबाई पर बतौर मेडिकल ऑफीसर तैनात था। उसके समक्ष थाना डिबाई का पी0 आर0 डी0 पदमेश सिंह मजरूव जितेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी घुसराना हरी सिंह थाना डिबाई जिला

बुलन्दशहर समय 10:45 रात को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था। उसके द्वारा पी0 आर0 डी0 पदमेश सिंह की शिनाख्त व मेडीकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। मजरूव के निम्न चोटें पायी गयी–

1. सूरज 4 X 3 से0 मी0 बायीं बाह के पीछे की तरफ थी, जिनके लिए एक्सरे का सुझाव दिया।
2. चोट नं0 2 नीलगू निशान 3.5 से0 मी0 X 2 से0 मी0 बांयी जांघ के पीछे मौजूद थी।
3. नीलगू 3.5 से0 मी0 X 3 से0 मी0 घुटने के पीछे, जिसके लिए एक्सरे का सुझाव दिया।
4. चोट नं0 4.7 से0 मी0 X 4 से0 मी0 बायें पैर के पीछे थी, जिसके लिए एक्सरे का सुझाव दिया था।
5. चोट नं0 5 दायें घुटने पर 3 से0 मी0 X 3 से0 मी0 नीलगू निशान था जिसके लिए एक्सरे का सुझाव दिया था।
6. चोट नं0 6 दाहिने नितम पर नीलगू का निशान 2 X 1 से0 मी0 था। सभी चोटें ताजा थी। सख्त व कुन्द हथियार से आना सम्भव है। साक्षी ने कागज सं0 8ए/1 को बतौर प्रदर्श क–4 एंव कागज सं0 8ए/2 मेडिकल परीक्षण को बतौर प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

11. अभियोजन साक्षी सं0 5 उप निरीक्षक अनुराग सिंह द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 26.10.2019 को वह थाना डिबाई पर उप निरीक्षक के पद पर थाना डिबाई कस्बा इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा जितेन्द्र पुत्र फते सिंह निवासी घुसराना हरी सिंह थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर के द्वारा एक टाईप शुदा तहरीर थाना डिबाई पर दी गयी जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0 अ0 सं0 490/2019 अन्तर्गत धारा 147, 504,323,307, 427 भा0 द0 सं0 बनाम रवि आदि थाना हाजा पर पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेशानुसार दिनांक 27.10.2019 को उसके सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना उसके द्वारा नकल चिक, नकल रपट, साक्षीगण के ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 अंकित किये गये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। मजरूब की चिकित्सीय आख्या प्राप्त कर संलग्न केस डायरी की गयी। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर प्रेषित किया गया। साक्षी ने नक्शा नजरी को बतौर प्रदर्श क–6 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

12. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0 प्र0 सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक एवं गवाहान के बयानों को गलत बताते हुये, अभियुक्तगण ने द्वारा कहा है कि उन्होंने वादी मुकदमा जितेन्द्र के साथ कोई घटना नहीं की है। चुटैल जितेन्द्र एम0 एल0 सी0 अनीता लोधी का चुनाव प्रचार करता था वह हरीश लोधी का समर्थन कर रहे थे। अनीता लोधी के चुनाव विजयी होने के बाद राजनैतिक दबाव में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया। उसने चोटों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बुलन्दशहर को प्रार्थना पत्र दिया था। वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है।

13. अभियुक्त निर्णय के स्तर पर अनुपस्थित होने के कारण अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था।

14. अभियुक्तगण की ओर बचाव में कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द सबूत 26ए से शपथपत्र सूरज पाल 27ए, आधार कार्ड की छायाप्रति 28बी, जिला अधिकारी बुलन्दशहर को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनाकित 07.11.2019 29बी, मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर को दिया गया प्रार्थनापत्र 30बी दाखिल किये गये है।

15. बहस में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचावपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

16. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 व पी0डब्ल्यू0 2 के द्वारा घटना को युक्त–युक्त संदेह के परे साबित किया है, उक्त साक्षीगण के साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्षीगण के साक्ष्य एवं चिकित्सीय परीक्षण आख्या से होती है। अतः अभियुक्तगण को साक्ष्य के आधार पर कठोर दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है।

17. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 एवं साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित नही होती है। मजरूब को चोटें गिरने से आना संम्भव है, उसे समस्त चोटें शरीर के पिछले भाग पर आयी है। मजरूब शराब पीकर मोटर साईकिल पर बैठने के समय गिर गया था, जिससे

उसको चोटें आयी है। अभियुक्तगण को एम0 एल0 सी0 के चुनाव की रंजिश के कारण फर्जी चोटें बनवाकर झूठा मुकदमा किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथित विरोधाभासों तथा असंगतताओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया तथा कहा गया कि वह निर्दोष है। उन्होंने कोई घटना कारित नहीं की है। अतः उपरोक्त आधारों पर संदेह का लाभ देते हुये अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन को यह साबित करना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 26.10.2019 को समय 9.00 बजे रात्रि घटना स्थल त्रिलोकी होटल डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा जितेन्द्र के साथ लाठी डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, गाली गलौच करके लोक शान्ति भंग करने का अपराध कारित किया, वादी मुकदमा का मोबाइल फोन तोड दिया तथा जान से मारने की नीयत से वादी का गला दबाया।

19. अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना दिनांक 26.10.2019 समय 9.00 बजे की प्रदर्शित की गयी है तथा घटना के उपरांन्त चुटैल थाना भी गया है, उसका मेडीकल भी कराया गया, उसके परिवारीजन तथा पिता भी थाने पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी तहरीर थाने पर नही दी गयी है, तहरीर दिनांक 27.10.2019 को समय 17.23 बजे पर घ टना के लगभग बीस घंटे के उपरांन्त दी गयी है। अभियोजन की ओर से इस विलम्ब का कोई कारण नही दिया गया है, कि उसके द्वारा रिपोर्ट अविलम्ब क्यों पंजीकृत नही करायी गयी। अभियोजन की ओर से उक्त का खंडन किया गया है कि तहरीर विलम्ब से इसलिए दी गयी है क्योंकि चुटैल को कई चोटे आयी थी, इसलिए उस समय चिकित्सा उसकी प्राथमिकता में थी।

20. प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 26.10.2019 समय 9:00 बजे सायं की प्रदर्शित की गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.10.2019 को समय 17:35 बजे पर पंजीकृत करायी गयी है। घटनास्थल से थाने की दूरी लगभग 400 मीटर है। थाना डिबाई एवं सी0एच0सी0 डिबाई जहॉ पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, वह आमने–सामने है। चिकित्सीय परीक्षण पी0आर0डी0 पदमेश सिंह द्वारा कराय गया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र द्वारा अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि उसे थाने पर होश आया था, उस समय थाने पर उसके परिवारीजन व पिता भी मौजूद थे, वह उनके साथ घर कार से आया था। साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि *''घटना वाले दिन थाने पर करीब एक घंटा*

रहा था। इस घंटे के दौरान थाने पर मेरे पिता, ड्राईवर तथा राम सिंह व भीमसैन मौजूद थे अन्य और कोई नही था। मेरे थाने पहुॅचने के बाद आधा घटा बाद यह लोग आ गय थे। पिताजी के थाने पर मैंने घटनाक्रम पिताजी को बता दिया था। मेरे पिता, गवाह राम सिंह व भीमसैन ने घटना की रिपोर्ट थाने पर नही दी थी।''

21. उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रकरण में घटना 9:00 बजे रात्रि की बतायी गयी है। चिकित्सीय परीक्षण मजरूब का समय 10:45 बजे रात्रि में किया गया है। अतः मजरूब चिकित्सीय परीक्षण से पहले थाने पर मौजूद था, थाने पर चिकित्सीय परीक्षण से पूर्व ही उसके परिवारीजन आ गये थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र द्वारा अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि *''मैंने अपने मिलने वाले की टाईप की दुकान खुलवायी थी, जिस दुकान पर टाईप करायी थी उसका नाम अम्बोज कम्पूटर पर टाईप करायी थी। लगभग रात्रि 11 बजे टाईप करायी थी। थाने से कम्प्यूटर वाले की दुकान 200–300 मीटर की दूरी पर होगी। पहले थाने गये थे, उसके बाद टाईप कराने गये थे। थाने से चार पहिया की गाडी से टाईप कराने के लिए गया था।''* अतः इस साक्षी के अनुसार उसके द्वारा घटना वाले दि नही रात्रि 11 बजे अर्थात चिकित्सीय परीक्षण के उपरांन्त तहरीर टाईप करायी गयी। यदि यह तहरीर 11 बजे रात्रि को ही टाईप करा ली थी तो उसको उसी समय थाने पर क्यों नही दिया गया। तहरीर प्रदर्श क–1 पर दिनांक भी 26.10.2019 पडा हुआ है। अतः यह तो स्पष्ट होता है कि तहरीर को दिनांक 26.10.2019 को ही टाईप करा लिया था, लेकिन इस तहरीर को दूसरे दिन थाने पर क्यों दिया गया। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 द्वारा यह कथन भी किया गया है कि तहरीर देने के लिए जाते समय उसका ताउ का लडका और चालक उसके साथ गया था, इसके अलावा यह भी कथन किया गया है कि तहरीर देने के बाद वह अस्पताल गये थे, जहॉ पर चिकित्सीय परीक्षण हुआ।

22. साक्षी का यह कथन कि वह तहरीर थाने पर देने के बाद चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए गया था, स्वंय उसके साक्ष्य से खण्डित होता है क्योंकि उसके द्वारा तहरीर समय 11:00 बजे रात्रि को टाईप कराने का कथन किया गया है, जबकि चिकित्सीय परीक्षण समय 10:45 बजे पर किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वादी मुकदमा पहले थाने गया, उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ और उसके बाद उसके द्वारा तहरीर टाईप करायी, लेकिन थाने पर दूसरे दिन उसके द्वारा दिया गया। तहरीर दूसरे दिन विलम्ब के साथ क्यों थाने पर दी गयी, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नही दिया गया है। ऐसे मामलों में जहॉ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी हो और उस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया हो,

तो भी यह अभियोजन कथानक को रद्द किये जाने का एकमात्र आधार नही हो सकता है, जबकि अभियोजन द्वारा घटना को साबित किया गया हो। ऐसे मामलों में जिनमें कि प्राथमिकी विलम्ब से पंजीकृत करायी जाती है, उनमें साक्ष्य का मूल्यांकन सतर्कता के साथ करना आवश्यक हो जाता है।

23. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर सिंह हितबद्ध साक्षी है, जिसकी उपस्थिति घटनास्थल पर साबित नही होती है। अपने तर्क के समर्थन में इस साक्षी के साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि यह साक्षी बुलन्दशहर से वापस आना बताता है, तथा अपनी मोटर साईकिल को कर्णवास चुंगी पर खडा होना बताता है। यदि बस के द्वारा बुलन्दशहर से आया जावें तो घटनास्थल पर इस साक्षी के उपस्थिति होने की संम्भावना नगण्य है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि इस साक्षी के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास पी0डब्ल्यू0 1 की साक्ष्य से है, जिससे कि इसकी उपस्थिति घटनास्थल पर साबित नही होती है।

24. साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर सिंह चुटैल साक्षी नही है, अतः उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्वंयमेव साबित नही होती है, बल्कि उसकी उपस्थिति को अभियोजन को साबित करना होगा। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र व पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर द्वारा अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि दोनों के मध्य सम्बन्ध अच्छे है, तथा वह एक ही गांव के रहने वाले है, एक–दूसरे के यहॉ उनका आना–जाना है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय चन्द्रवीर, राय सिंह, राजू ठाकुर व अन्य लोग आ गये, जिन्होने घटना देखी व उसे बचाया। घटनास्थल त्रिलोकी होटल के सामने एवं उसके पास 50 कदम दूर स्थिति गली का बताया गया है कि पहले त्रिलोकी होटल पर मारपीट की उसके बाद गली में ले जाकर लाठी–डंण्डा, लात–घूॅसे से मारपीट की तथा प्रमोद ने हाथों से उसका गला जान से मारने के आशय से दबाया गया। साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक 26.10.2019 की समय रात 9 बजे की है, घटनास्थल पर वह बाहर से आया था, बस से खाना खाने उक्त घटनास्थल वाले होटल के पास रूक गगये थे, तभी उसने घटना देखी। अतः यह साक्षी एक संयोगवश साक्षी है, कि वह बस से आया और खाना खाने के लिए होटल पर रूका। उसके साथ राय सिंह भी साथ था। यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा के अनुसार ही उस समय पहुॅचा जब कि घटना गली में हो रही थी, यह पहली घटना के समय जो कि त्रिलोकी होटल के सामने कथित रूप से बतायी गयी है, उस समय इसकी उपस्थिति नही थी।

25. साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 द्वारा अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि '' डिबाई से मेरा गांव 6 किलोमीटर की दूर है। डिबाई से गंगा साइड में मेरा गांव पडेगा। थाने से करीब 200 मीटर आगे से मेरे गांव को रास्ता जाता है। जब मैं दिल्ली से आता हॅू तो इसी मोड पर बस से उतरकर या अन्य किसी वाहन से उतरकर अपने गांव इस बाईपास से चला जाता हॅू। जब नरौरा से आता हॅू तो मैं डिबाई बस स्टैण्ड पर उतरता हॅू। बस स्टैण्ड से गंगा की तरफ पूरब उत्तर की तरफ मेरे गांव को रास्ता है, मैं उस रास्ते से अपने गांव चला जाता हॅ। डिबाई बस स्टैण्ड से डिबाई थाना पश्चिम दिशा में एक किलोमीटर दूर है। डिबाई थाना व डिबाई बस स्टैण्ड दिल्ली–नरौरा रोड पर सडक से लगे हुए है यह बात सही है। डिबाई बस स्टैण्ड से त्रिलोकी होटल करीब 400 मीटर दूर पडता है। थाने से त्रिलोकी होटल 500–600 मीटर दूर पडता है। इन दोनों रास्ते के अलावा मैं अन्य रास्त`से डिबाई आता हॅू। तीनों रास्ते गंगा की तरफ खुलते है। तीसरा वाला रास्ता रोडवेज पर नही मिलता है बल्कि तीनों रास्ते रोडवेज बस स्टैण्ड से पहले गंगा की तरफ है। घटना दिनांक 26.10.2019 की है। मैं बुलन्दशहर से अपने गांव जा रहा था। बुलन्दशहर ट्रेक्टर का सामान लेने गया था। प्राईवेट बस से बुलन्दशहर आया था। फिर कहा कि सामान खरीदने नही आया था स्पेंडल आदि में बुश डलवाये थे।''

26. इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी बुलन्दशहर से स्वंय को आना बताता है। बुलन्दशहर से जब इस साक्षी के अनुसार आएगें तो थाने से 200 मीटर की दूरी से इसके गांव को रास्ता जाता है अर्थात कि घटनास्थल से लगभग 300–400 मीटर पहले से ही इस साक्षी के गांव के लिए रास्ता जाता है। ऐसी स्थिति में यह साक्षी त्रिलोकी होटल पर जाने का कोई औचित्य नही था। यह साक्षी बुलन्दशहर से आना बताता है तथा डिबाई से इसके गांव की दूरी 5–6 किलोमीटर है, डिबाई पर मोटर साईकिल खडी करना बताता है, अतः डिबाई से केवल दस मिनट के अन्दर वह अपने गांव में पहॅुच जाएगा, ऐसी स्थिति में डिबाई में खाना खाने का कोई औचित्य नही था। यह साक्षी अपनी मोटर साईकिल को कर्णवास चुंगी पर खडी होना बताता है, कर्णवास चुंगी इसके गांव वाले रास्ते पर है। बाईपास रोड व रोडवेज बस स्टैण्ड के बीचोंबीच त्रिलोकी होटल पडता है। अतः स्पष्ट है कि जब इस साक्षी की मोटर साईकिल यदि मान लिया जावें कि कर्णवास चुंगी पर खडी थी तो भी इस साक्षी का त्रिलोकी होटल के सामने बस से उतरने का कोई औचित्य नही था।

27. इस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में इसके साक्ष्य के अन्य बिन्दुओं पर भी विचार करना होगा। इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि

''जितेन्द्र को सबसे पहले गली में देखा था, जहॉ पर घटना हुई थी वहॉ पर देखा था। यह गली होटल से पश्चिम साईड में दो दुकान छोडकर जाती है। मैंने जब जितेन्द्र को पहली बार देखा तो वह सडक से लगी गली में 15 मीटर अन्दर था।'' नक्शा–नजरी प्रदर्श क–6 के अनुसार होटल से पश्चिम ओर पहले मंदिर है, उसके बाद तीन दुकानें है, और उसके बाद गली है। अतः साक्षी का साक्ष्य नक्शा–नजरी व साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 के ब्यान के विरोधाभास में है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र द्वारा कथन किया गया है कि गली में 2–3 मीटर अदंर घटना हुई थी, जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 यह बताता है कि गली में 15 मीटर अदंर घटना हुई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जो कि साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 की घ टनास्थल पर उपस्थिति पर संदेह किये जाने का कारण देता है।

28. साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र द्वारा अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि ''गली में 15 मिनट की मारपीट के दौरान रास्ता चलने वाले व मकान वाले आ गये थे। फिर कहा कि उस गली में आगे चलकर मकान है वहॉ मकान नही है जहॉ पर मारपीट हुई थी। रास्ता चलने वालों ने मुझे बचाने का प्रयास किया था।'' अतः साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र की साक्ष्य के अनुसार उसे बचाने वाले राहगीर थे। पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर व राय सिंह जो कि जितेन्द्र के गांव के उसके मिलने वाले है, यदि वह घटनास्थल पर होते तो बचाने वालों में वह भी होते। साक्षी पी0डब्ल्य0 1 जितेन्द्र द्वारा कथन किया गया है कि वह 11:00–11:30 बजे रिपोर्ट कराने चन्द्रवीर के साथ था जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर द्वारा यह कथन किया गया है कि वह दस बजे अपने गांव के लिए मोटर साईकिल से चल दिये थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर द्वारा यह कथन अपनी प्रतिपरीक्षा में किया गया है कि *''मुझे नही पता कि घटना वाले दिन जितेन्द्र का मेडीकल हुआ या नही। चुटैल को हमने थाने पर छोड दिया था इसलिए गांव ले जाने का प्रयास नही किया।''* आगे कथन किया है कि *''मैंने चुटैल के कहॉ–कहॉ चोट शरीर के किस–किस स्थान पर थी नही देखी।''*

29. साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर का यह कहना कि उसके द्वारा न तो चोटे देखी और न ही उसे यह पता कि मेडीकल हुआ कि नही। यदि यह साक्षी मौके पर होता और पी0डब्ल्यू0 1 के अनुसार रिपोर्ट तहरीर कम्प्यूटर पर टाईप कराने 11:00 बजे रात्रि को जाता तो इस साक्षी को यह पता होता कि चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन किया गया था, एवं इस साक्षी को यह भी पता होगा कि चुटैल के चोट शरीर पर कहॉ–कहॉ थी। साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 की घटनास्थल पर उपस्थिति पर संदेह किये जाने का एक कारण यह भी है कि जितेन्द्र के साक्ष्य के अनुसार एवं चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे घटनास्थल से 100 नम्बर वाली पुलिस

लेकर गयी तथा उसका मेडीकल पी0आर0डी0 पदमेश कुमार द्वारा कराया गया है। यदि यह साक्षी मौजूद होता तो यह चुटैल के साथ ही रहता और वह ही उसे थाने लेकर जाता। थाने की दूरी भी अधिक नही थी, एवं चुटैल को ऐसी कोई चोट भी नही थी कि वह चलने में असमर्थ हो गया हो। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित नही होती है।

30. वर्तमान प्रकरण साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 चन्द्रवीर की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित न होने के कारण एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के आधारित है। एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ए0आई0आर0 1957 एस0सी0 614 वादीवेलू थेवर वनाम मद्रास राज्य** पर यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि एकमात्र साक्षी के साक्ष्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रथमतः विश्वसनीय, द्वितीयतः अविश्वसनीय, एवं तृतीयतः न तो पूर्णतः विश्वसनीय तथा न ही पूर्णतः अविश्वसनीय। यदि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में आता है तो ऐसे एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यदि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय की श्रेणी में आता है तो ऐसे एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नही की जा सकती है एवं यदि साक्षी का साक्ष्य तृतीय श्रेणी में आता है तो एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर तब तक दोषसिद्धि नही की जा सकती है जब तक कि ऐसे एकमात्र साक्षी के साक्ष्य की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से न होती हो।

31. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई हेतुक नहीं है, तथा साक्षीगण के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास एवं विसंगतियों के प्रभाव के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शक वादों में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि :–

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **2002 सुप्रीम कोर्ट केसिस (क्रि0) 859 धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मान सिंह रतन सिंह वनाम गुजरात राज्य, 2005 सुप्रीम कोर्ट केसिस (क्रि0) 850 बिशन कुमार उर्फ बिन्नी उर्फ बग्गा वनाम दिल्ली राज्य, 2004 जे.सीआर.सी. 1257 रवि वनाम राज्य, 2016 (97) ए.सी.सी. 410 भगवान जगन्नाथ वनाम महाराष्ट्र राज्य,** में पारित विधि व्यवस्थाओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। उपरोक्त मार्गदर्शक वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साक्षी की साक्ष्य को पूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए, कुछ विसंगतियों जो कि अभियोजन

कथानक के सार को स्पर्श नही करती है, उनके कारण साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार नही किया जाना चाहिए। साक्ष्य का एक अंश जहॉ स्वीकार हो सकता है तो दूसरा अंश केवल नजदीकी रिश्तेदार होना उसके साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का कारण नही हो सकता है।

33. **2016 (97) एसीसी 651 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय), संजय व एक अन्य वनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधिक अभिमत प्रदान किया गया है कि जहॉ पर अभियोजन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हो रही है वहॉ पर प्रत्येक विरोधाभास एवं विसंगति अभियोजन के लिए घातक नही होती बल्कि यह इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि साक्षी को पढाया नही गया है। स्वतंन्त्र साक्षियों को प्रस्तुत न किये जाने से ऐसे मामले में मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। व्यक्ति विभिन्न कारणों से साक्ष्य नही देना चाहते है, जिसमें कि अपराधियों से जोखिम भी शामिल है। **2011 (75) ए0सी0सी0 215 (एस0सी0) उ0प्र0 राज्य वनाम नरेश** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधिक अभिमत प्रदान किया गया है कि सभी आपराधिक विचारणों में सामान्य विसंगितियों का साक्षियों के साक्ष्य में आना निश्चित है। **2001 (1) जे0आई0सी0 632(सु0को0) लीलाधर (मृतक) द्वारा दुलीचन्द्र वनाम हरियाणा राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई गवाह अपने ब्यान में कोई सजावटीपन लाता अथवा उसे बढा–चढाकर कहता है तब पाये जाने वाले अन्तर उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय नही ठहराएगें जब तक कि वे घातक न हो। दोनों साक्षियों के साक्ष्य में अन्तर तब तक घातक नही होगा जब तक वह इतना गम्भीर न हो कि उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर दे। विभिन्न साक्षियों द्वारा दिये गये ब्यानों में अन्तर होना स्वाभाविक है और जब तक ऐसा अन्तर मूलभूत न हो तब तक उनके साक्ष्य को खारिज नही किया जा सकता। साक्ष्य का समर्थन गणितीय सूत्र के आधार पर नही आपराधिक मामलों में नही किया जा सकता। तुच्छ अन्तर और विरोध साक्षियों के ब्यान की विश्वसनीयता को प्रभावित नही करता।

34. प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई भी हेतुक प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब होटल मालिक के लडके से मोटर साईकिल हटाने के लिए कहा गया तो वह गाली–गलौज करने लगा। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी के साक्ष्य में इस बिन्दु पर कोई विरोधाभास अथवा विसंगति नही है कि मजरूब जितेन्द्र होटल त्रिलोकी पर खाना खाने के लिए न गया हो। अतः दिनांक 26.10.2019 को मजरूब का समय 8:30 बजे खाना खाने के लिए जाना स्वीकृत तथ्य है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *''खाना खाने का ऑर्डर मैंने पिताजी को दिया था होटल पर मैंने 15 मिनट में भोजन कर लिया था। भोजन*

करने के बाद प्रमोद से या उसके परिवारवालों से कोई वार्ता नही हुई केवल पैसे मॉगे थे जो मैंने दे दिए थे।'' अतः इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि चुटैल जितेन्द्र द्वारा खाना खा लिया था और उसके द्वारा पैसे का भुगतान कर दिया था। उसके बाद यह अपनी मोटर साईकिल के पास आया।

35. अभियुक्त की ओर से साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र को यह सुझाव दिया गया है कि ''यह कहना गलत है कि मैंने होटल पर जाकर शराब पीकर खाना खाया हो। और पैसे ना देने के कारण मैंने वहॉ झगडा फॅसाद किया हो। यह कहना गलत है कि शराब के नशे में झगडा फसान करने के कारण मेरे चोटें आयी हो और मैंने अपने बचाव में अभियुक्तो के विरूद्ध मुकदमा लिखा दिया हो।'' अतः अभियुक्तगण की ओर से मजरूब साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 को दिये गये सुझावों में यह स्वीकार किया गया है कि उसने शराब पीकर पैसा न देने के कारण झगडा किया जिसमें उसके चोटें आयी और बचाव में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण की ओर से साक्षी को आयी चोटैं व झगडे को स्वीकार किया गया है, जिससे कि साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 के इस कथन की पुष्टि होती है कि झगडा होटल पर हुआ और वहॉ पर ही उसके साथ मारपीट की गयी। मजरूब घटना के समय अकेला था एवं होटल पर उसके स्वामी व कर्मचारीगण का होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यह वादी के लिए यह संम्भव नही था कि वह होटल के स्वामी एवं कर्मचारीगण से झगडा करें। साक्षी के इस कथन की पुष्टि की उसके साथ लाठी–डण्डा से मारपीट की गयी, की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–5 से होती है। चिकित्सीय परीक्षण घटना के अविलम्ब किया गया है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने से पूर्व पुलिस द्वारा कराया गया है। अतः चिकित्सीय परीक्षण आख्या पर बिना किसी साक्ष्य के संदेह नही किया जा सकता है।

36. साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र की साक्ष्य के अनुसार इस साक्षी ने जब मोटर साईकिल हटाने के लिए कहा तो आना–कानी की गयी तथा गाली–गलौज की ओर उसके साथ अभियुक्तगण प्रमोद, रवि व सूरज तथा होटल के दो कर्मचारियों ने लाठी–डंण्डे व लात–घूँसों से मारपीट की और उसके बाद उसे खींचकर गली में ले गये, जहॉ पर उसके साथ मारपीट की और हाथ–पैर पकड लिए और प्रमोद ने जान से मारने की नीयत से गला दबाया। प्रदर्श –5 चिकित्सीय परीक्षण आख्या एवं साक्षी पी0डब्ल्यू0 4 डा0 गिरी हेमन्त कुमार की साक्ष्य के अनुसार मजरूब जितेन्द्र के गले पर किसी प्रकार की कोई चोट नही आयी है। यदि मजरूब के गले को जान से मारने के आशय से दबाया जाता तो गले पर निशान पाया जाना स्वाभाविक था, क्योंकि चिकित्सीय परीक्षण दो घंटे के अदंर ही हुआ है। इससे यह साबित होता है कि मजरूब के गले को नही दबाया गया है और यह

सोच–समझकर केवल मामले को रंगत देने के आशय से लिखाया गया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नही होती है।

37. धारा 307 भा0द0सं0 के अपराध के गठन के लिए चोटों का प्राणघातक आवश्यक नहीं है, बल्कि अभियुक्त का आशय देखा जाता है कि क्या अभियुक्त का आशय जान से मारने का था। प्रस्तुत प्रकरण में घटना मोटर साईकिल को हटाने को लेकर अभियुक्त प्रमोद से कहा–सुनी को लेकर प्रारम्भ होती है, अतः अभियुक्त का कोई पूर्व नियोजित आशय मजरूब के साथ मारपीट करने का नही था। अभियुक्त के पास लाठी–डंण्डा होना कहा गया है, जिससे कि दो स्थानों पर मारपीट की गयी है, लेकिन मजरूब को चोट उसके शरीर के पीछे के भाग पर केवल पैर के घुटने की एक चोट को छोडकर आयी है। अतः अभियुक्त द्वारा मजरूब के शरीर के मार्मिक भाग पर चोट नहीं पहुंचायी गयी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का आशय मजरूब की हत्या कारित किये जाने का नहीं था।

38. मजरूब जितेन्द्र की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे चोट सूजन बायीं बांह के पीछे , बायीं जॉघ के पीछे, घुटने के पीछे, बायें पैर के पीछे, दाहिने नितम्ब पर आयी है तथा केवल एक चोट घुटने पर सामने की ओर आयी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 4 डा0 गिरी हेमन्त कुमार की साक्ष्य के अनुसार मजरूब के किसी भी चोट में फ्रेंक्चर नही पाया गया है तथा चोटें साधारण प्रकृति की पायी गयी है। कोई भी चोट प्राणघातक प्रकृति की नही पायी गयी। साक्षी पी0डब्ल्यू0 4 द्वारा अपनी साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *''मैंने चुटैल की शराब पीने की जॉच इसलिए नही की थी क्योंकि पुलिस ने मुझे लिखकर नही दिया था। कोई व्यक्ति अगर शराब पीएं हुए मोटर साईकिल पर बैठने के प्रयास में तथा प्रयास करने में पीछे की ओर सडक पर गिर जाये तो उपरोक्त चोट आना संम्भव है। ऐसा चुटैल के साथ भी हो सकता है।''* प्रमोद कुमार की मोटर साईकिल खडी होने के कारण मजरूब की मोटर साईकिल निकलने के लिए पर्याप्त स्थान न हो और इस पर कहा–सुनी हुई और फिर मारपीट की गयी।

39. अभियुक्त की ओ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी के साथ आधे घंटे तक मारपीट किये जाने का कथन किया गया है, लेकिन उसे केवल छह चोटैं ही आयी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र के द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके साथ 15 मिनट तक लाठी–डण्डे के साथ मारपीट होटल के बाहर की गयी तथा उसके बाद उसे खींचकर गली में ले गये, जहॉ पर 15 मिनट लाठी–डंडे से मारपीट की गयी। साक्षी द्वारा यह कथन केवल मामले को बढा–चढाकर प्रस्तुत किये जाने के आशय से किया गया है, जो कि मामले के

आधार को प्रभावित नही करता है। साक्षी जब न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देता है तो वह अपने ब्यान में कुछ तथ्य बढा–चढाकर इसलिए बताता है क्योंकि वह समझता है कि तथ्यों को बढा–चढाकर प्रस्तुत किये जाने से अभियुक्त को अधिक दण्ड प्राप्त होगा।

40. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तत्कालीन विधायक अनीता लोधी के द्वारा पुलिस पर दबाब बनाकर कार्यवाही करायी गयी है क्योंकि वह उसका समर्थक रहा है, और अभियुक्त उसके प्रतिद्वन्दी प्रत्याशी हरीश लोधी के समर्थक थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वंय यह स्वीकार किया गया है कि उसके पिता गांव के चार–पॉच बार प्रधान रहे है। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में बी0जे0पी0 एम0एल0ए0 अनीता लोधी का प्रचार किया था और उसको सपोर्ट किया था। अतः मजरूब सत्ताधारी विधायक का करीबी था। इसका प्रभाव प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने में तो नही था क्योंकि मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण होने के उपरांन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी समय बाद अंकित की गयी है, लेकिन विवेचना में भी नजर नही आता है।

41. पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–5 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मजरूब जितेन्द्र सिंह को कोई भी चोट उसके शरीर के मार्मिक भाग पर नही आयी है तभी सभी चोटों की प्रकृति साधारण पायी गयी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0 4 डा0 गिरि हेमन्त कुमार द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि चुटैल के कोई भी ऐसी चोट नही थी, जो कि प्राणघातक हो। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अभियुक्तगण का आशय जितेन्द्र सिंह की हत्या कारित करने का था। यह महत्वपूर्ण है कि तीन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया गया है तथा कोई चोट शरीर के मार्मिक भाग पर नही है, जबकि यदि अभियुक्तगण का आशय हत्या कारित करने का होता तो वह शरीर के मार्मिक भागों पर चोट पहुॅचाते, जिसका उनको अवसर प्राप्त था।

42. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसका मोबाईल घटना में टूट गया था, लेकिन विवेचक द्वारा मोबाईल को अपने कब्जे में नही लिया गया न ही उस टूटे हुए मोबाईल को देखा गया। उस टूटे हुए मोबाईल को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 427 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया है। धारा 427 भा0द0सं0 के आरोप के लिए अभियुक्त के लिए यह आवश्यक था कि मोबाईल जिसे कि घटना में तोडना बताया गया था, उसको बरामद किया जाता, और उसे

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे साबित किया जाता। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों धारा 307 एवं 427 भा0द0सं0 को युक्त–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है।

43. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 504 भा0द0सं0 का अपराध नही बनता है, क्योंकि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में उन शब्दों को नही बताया गया है, जिनमें कि गाली–गलौज की गयी। अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में उन शब्दों का उल्लेख नही किया गया है, जिनमें कि गाली–गलौज की गयी। साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 जितेन्द्र सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में भी यह कथन किया गया है कि गाली–गलौज करने लगा। किन शब्दों में क्या कहा गया, उनका वर्णन नही किया गया है, जबकि यह आवश्यक है कि उन शब्दों को बताया जाता, जिनमें कि गाली–गलौज की गयी। उसके उपरांन्त ही न्यायालय यह निश्चित कर सकता था कि गाली–गलौज में प्रयोग किये गये शब्दा लोक प्रशान्ति को भंग करने के लिए पर्याप्त थे अथवा नही? अतः प्रयोग किये गये वास्तविक शब्दों के अभाव में धारा 504 भा0द0सं0 का अपराध नही बनता है। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा यह युक्त–युक्त संदेह के परे साबित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा लाठी–डंण्डे से मारपीट कर मजरूब जितेन्द्र को स्वेच्छया साधारण चोटें पहुँचायी गयी। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 323 भा0द0सं0 के अर्न्तगत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः 13.04.2026

(विनीत चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर
बुलन्दशहर।
J.O.Code No-U.P.6365

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर सिद्धदोष व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

सिद्धदोष की ओर से यह कहा गया कि सिद्धदोष प्रमोद कुमार का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ देते हुये रिहा किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रमोद के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उसके विरूद्ध पूर्व से आपराधिक अपराध से सम्बन्धित मामले पंजीकृत हैं। अभियुक्त आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इस कारण अभियुक्त को

परिवीक्षा पर रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त वर्तमान प्रकरण में दो माह से अधिक समय तक कारागार में निरूद्ध रहा है। अतः उसके द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

सिद्धदोष प्रमोद कुमार को मु0 अ0 सं0 490 सन 2019 सत्र वाद संख्या 23 सन 2025 अन्तर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता थाना जिला बुलन्दशहर के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त प्रमोद को मु0 अ0 सं0 490 सन 2019 सत्र वाद संख्या 23 सन 2025 अन्तर्गत धारा 504, 427 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सिद्धदोष जिला कारागार में निरूद्ध है, उसका सजायवी अधिपत्र तैयार कर अविलम्ब प्रेषित किया जायें, अधीक्षक जिला करागार, बुलन्दशहर को आदेशित किया जाता है कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अविलम्ब रिहा किया जाये।

दिनांकः 13.04.2026

(विनीत चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
J.O.Code No-U.P.6365

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोशित किया गया।

दिनांकः 13.04.2026

(विनीत चौधरी)

अपर सत्र न्यायाधीश,

अनूपशहर, बुलन्दशहर।

J.O.Code No-U.P.6365